

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 12 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में नई टिहरी में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-698/VI(1)/2015-02(11)/2014, दिनांक 31 मार्च, 2015, शासनादेश संख्या-1884/VI(1)/2015-02(11)/2014, दिनांक 4 सितम्बर, 2015, शासनादेश संख्या-817/VI(1)/2016-02(11)/2014, दिनांक 26 अप्रैल, 2016, शासनादेश संख्या-2169/VI(1)/2016-02(11)/2014, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 शासनादेश संख्या-773/VI(1)/2017-02(11)/2014, दिनांक 24 मई, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत योजना हेतु ₹ 1148.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 200.00 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख तथा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पर्यटन कोष से ₹ 100.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उक्त के संदर्भ में आपके पत्र संख्या-318/2-6-912/2014, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 'नई टिहरी में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना' मद में प्रावधानित ₹ 400.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 300.00 लाख में से ₹ 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
- (ii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।
- (iii) कार्यदायी संस्था द्वारा अपने प्रदर्शिका, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा डी0एस0आर0 के नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी मद में फाईनेंशियल डुप्लीकेसी न हो।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (vi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

- (vi) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (vii) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (ix) वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (x) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (xi) कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखाशीर्षक 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-राज्य सेक्टर-56-नई टिहरी में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निहित प्राविधानों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

5- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी-S.180/260217 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या:-/3/0/VI(1)/2018-02(11)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
- 4- जिलाधिकारी टिहरी।
- 5- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
- 7- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, नई टिहरी।
- 8- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव।